न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 106/2018

1. राधे पुत्र नत्थू जाति गुर्जर निवासी भोपुर शाहपुर तहसील महवा जिला दौसा।

.. अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा। ...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार महवा दिनांक 22.12.2017 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम राधे मु0नं0 298/2017 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री सतीश कुमार पारीक, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः 28.10.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा ने दिनांक 22.12.2017 को ग्राम जगरामपुरा तहसील महवा के आराजी खसरा नम्बर 268 में से रकबा 0.25 है0 किस्म सिवायचक भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई सुनवाई व सबूत का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है।अपीलांट को कभी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत कोई नोटिस नहीं दिया तथा पत्रावली पर कोई रिकॉर्ड व दस्तावेज भी पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नहीं है। पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई एवं पटवारी हल्का से अपीलांट को जिरह का मौका भी नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की तामील के बाद अपीलांट स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूॅठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। बाद तामील अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन असत्य है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में सिवायचक भूमि पर गेहूॅ की काश्त कर अतिकमण करना बताया है। पत्रावली में संलग्न पटवारी की दैनिक डायरी दिनांक 01.03.2017 का अवलोकन किया गया जिसमें अतिकमी को राजकीय भूमि पर अतिकमण से बेदखल किया गया था। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा सिवायचक भूमि पर अतिकमण किया गया है। अतिकमी पश्चातवर्ती अतिकमी है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। नायब तहसीलदार महवा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2017 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official